न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

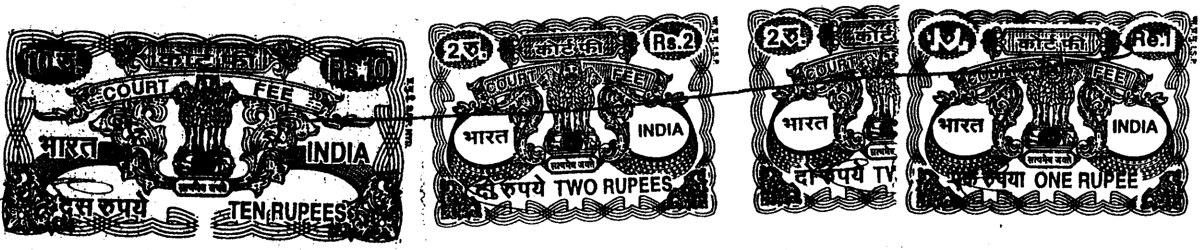

(24)

R-1332-I/12

1. इन्द्रपाल यादव तनय स्व. श्री रामलाल यादव, उम्र 48 वर्ष, पेशा–खेती,
2. रामधनी यादव तनय इन्द्रपाल यादव, उम्र 27 वर्ष, पेशा खेती,
3. रामकिशोर तनय श्री इन्द्रपाल यादव, उम्र 23 वर्ष, पेशा खेती,
4. मुन्नालाल यादव तनय श्री इन्द्रपाल यादव, उम्र 21 वर्ष, पेशा खेती,

सभी निवासी बरौंधा (सतना), जिला–सतना (म0प्र0)

———निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. शासन म0प्र0
2. वन मण्डलाधिकारी, सतना सिविल लाइन्स सतना (म0प्र0)

————गैर निगरानीकर्तागण

श्री तरुण कुमार पाण्डेय अभि० द्वारा आज दि० 13-6-12 को रीवा केम्प पर प्रस्तुत किया।

13-6-12
रीडर

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 968/अपील/10–11 आदेश दिनांक 22.05.2012 के विरूद्ध निगरानी।

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी याचिका.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :–

27-6-12

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का यह विनिश्चय त्रुटिपूर्णहै कि ग्राम–बरौंधा की वादग्रस्त भूमि आराजी नं0 532 रकवा 22.50 एकड़ वन विभाग की भूमि होने के कारण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 57(2) के उपबंध से प्रभावित नहीं होते, इसलिए आवेदक का आवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1932–I/12 जिला–सतना

इन्द्रपाल यादव/शासन

(1)	(2)	(3)
02.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक क्र02 तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	